मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 07] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2015-माघ 24, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह के पूर्व कु. भाग्यश्री पिता श्री संतोषकुमार जी गेहलोत, पता 217, उषा नगर मेन रणजीत हनुमान रोड, इंदौर था. मेरा विवाह दि. 23-01-2013 को शहर इन्दौर में श्री अमोल वर्मा पिता श्री कैलाशचन्द्र वर्मा के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती भाग्यश्री पति श्री अमोल वर्मा, निवासी तिरूमाला टॉवर, ब्लाक-बी, फ्लेट नंबर 608, एयरपोर्ट रोड, इंदौर हो गया है तथा मैं अब इसी नाम से जानी एवं पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(भाग्यश्री गेहलोत)
पिता श्री संतोष कुमार गेहलोत.

नया नाम :
(भाग्यश्री वर्मा)
पति अमोल वर्मा.

(591-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र सार्थकसिंह के शैक्षणिक अभिलेखों में पिता का नाम घनश्यामसिंह दर्ज हो गया है जबकि मेरे शासकीय सेवा अभिलेखों एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेजों में मेरा नाम घनश्याम परिहार है. अत: अब मेरा पुत्र सार्थकसिंह पिता घनश्याम परिहार नाम से जाना, पहचाना जावेगा और उसके अभिलेखों में मेरा उक्त नाम दर्ज किया जावेगा.

पुराना नाम :
(घनश्यामसिंह)

नया नाम :
(घनश्याम परिहार)
एस-303, शालीमार पाम्स,
पिपल्याहाना, इन्दौर (म. प्र.).

(600-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व मेरा नाम कु. शिल्पी गोयल पुत्री श्री दामोदर दास गोयल था जो मेरे समस्त शिक्षा संबंधी एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है तथा शादी के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती शिल्पी अग्रवाल पत्नी श्री रवि प्रताप अग्रवाल हो गया है. अब मैं अपने नये नाम श्रीमती शिल्पी अग्रवाल के नाम से जानी, पहचानी व पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(शिल्पी गोयल)
पुत्री श्री दामोदरदास गोयल

नया नाम :
(शिल्पी अग्रवाल)
पत्नी श्री रवि प्रताप अग्रवाल
निवासी—राजा बाक्षर की गोठ, दौलतगंज,
लश्कर, ग्वालियर, इन्दौर (म. प्र.).

(601-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, मेहतराम विश्वकर्मा सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री के कक्षा 9वीं की मार्कशीट तथा स्कूल अभिलेख में उसका नाम कु. पूजा मांजरीवार, उसके पिता का नाम मेहतराम मांजरीवार एवं माता का नाम माया मांजरीवार दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि सही नाम पुत्री का नाम पूजा विश्वकर्मा, पिता का नाम मेहतराम विश्वकर्मा एवं माता का नाम माया विश्वकर्मा दर्ज होना चाहिये था. अत: इसी आशय की आम-सूचना प्रकाशित की जा रही है कि मेरी पुत्री की मार्कशीट में उसका नाम कु. पूजा विश्वकर्मा पिता का नाम मेहतराम विश्वकर्मा तथा माता का नाम माया विश्वकर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(मेहतराम मांजरीवार)

नया नाम :

(मेहतराम विश्वकर्मा)
मु. पो. तुर्कीखापा, तह. मोहखेड़,
जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

(606-बी.)

CHANGE OF NAME

Everyone has known that my old name was G. Hemasundar Naidu S/o Narayanasami Naidu. After changing my name, my new name is Hemasundar Naidu, Gonuguntla. Hence, in future everyone should identify and know me as Hemasundar Naidu, Gonuguntla son of Narayanasami Naidu.

Old Name :

(G. HEMA SUNDAR NAIDU)

New Name :

(HEMASUNDAR NAIDU, GONUGUNTLA)
106-A, Shivampuri Colony, Near Pipliya Rao,
Indore.

(608-B.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म माँ वैष्णों कन्स्ट्रक्शन कं., ग्वालियर में दिनांक 19 अगस्त, 2013 को 1. श्री विजय मिश्रा, 2. श्रीमती सुनीता मिश्रा प्रवेश कर रही हैं तथा 1. श्री अशोक मुदगल, 2. शोभना शर्मा, 3. श्रीमती सुनीता भदौरिया स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म माँ वैष्णों कन्स्ट्रक्शन कं.
राम दुल्हारे मिश्रा,
(भागीदार)
पता—ए-28, अर्जुन नागर, बलवंत नगर के पास,
थाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

(602-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीराम स्टोन्स क्रेशर, ग्वालियर में दिनांक 02 जनवरी, 2015 को 1. श्री अजय शर्मा फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मैसर्स श्रीराम स्टोन्स क्रेशर.
पंकज भार्गव
(पार्टनर)
पता—मिर्जापुर नउ मौहल्ला,
घासमंडी, ग्वालियर (म. प्र.).

(603-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जगदीश प्रसाद बंसल, खारा कुआ कस्टम गेट, शिवपुरी, म. प्र. ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्र. 3. श्री बाबूलाल वैश्य पुत्र श्री नन्नूलाल बंसल, उम्र 73 वर्ष, पता—खारा कुआ, जिला शिवपुरी, म. प्र. का दिनांक 17 नवम्बर, 2012 को स्वर्गवास हो जाने के कारण इनको फर्म से अलग किया गया है एवं उनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री सुभम बंसल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बंसल, उम्र 18 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता—गौतम विहार कॉलोनी, सर्किट हाउस रोड, शिवपुरी, म. प्र. एवं नीतू बंसल पत्नी श्री रीतेश बंसल, उम्र 34 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता—खारा कुआ, कस्टम गेट, शिवपुरी, म. प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 18 नवम्बर, 2012 को सम्मिलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स जगदीश प्रसाद बंसल
जगदीश प्रसाद बंसल,
खारा कुआ कस्टम गेट, शिवपुरी, (म. प्र.).

(604-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जगदीश प्रसाद बंसल, खारा कुआ कस्टम गेट, शिवपुरी, म. प्र. ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्र. 3. श्री रीतेश बंसल पुत्र श्री बाबूलाल वैश्य, उम्र 36 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता—खारा कुआ, कस्टम गेट, शिवपुरी, म. प्र. को फर्म से अलग किया गया है एवं उनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री मनोज कुमार बंसल पुत्र श्री बाबूलाल वैश्य, उम्र 44 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता—खारा कुआ कस्टम गेट, शिवपुरी, म. प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 को सम्मिलित किया जा रहा है जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले एवं अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार हैं.

मैसर्स जगदीश प्रसाद बंसल
जगदीश प्रसाद बंसल,
खारा कुआ कस्टम गेट, शिवपुरी, (म. प्र.).

(605-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ड्यूकॉन बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स स्थित 13/सी, आनन्द ग्लोवल प्लेटिनम, उपभोक्ता फोरम के सामने, कैलाश बिहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में है. जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2014 से भागीदार श्री मुकेश लक्षकार पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी, 22., विवेकानन्द कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर एवं अमित लक्षकार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी 689, सिटी सेंटर, साईट नं. 2, थाटीपुर, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 31 मार्च, 2014 से श्रीमती रिंकी लक्षकार पत्नि श्री राकेश लक्षकार, निवासी 91, सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, थाटीपुर, ग्वालियर फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

राकेश लक्षकार,
फर्म—ड्यूकॉन बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स
13/सी, आनन्द ग्लोवल प्लेटिनम, उपभोक्ता फोरम के सामने,
कैलाश बिहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म. प्र.).
द्वारा—श्री संजीव अग्रवाल
(एडवोकेट)
अलंकार होटल लाईन, हॉस्पीटल रोड,
ग्वालियर (म. प्र.).

(607-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स श्री रामचन्द्र जायसवाल एण्ड कम्पनी, जिसका पता 36, संत नगर, उज्जैन, म. प्र., जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00083/05, दिनांक 02-03-2003 पर पंजीयन फर्म है, में से भागीदार 1. श्री रामचन्द्र जायसवाल पुत्र श्री बाबूलाल जायसवाल, 2. श्री आनन्द तिवारी पुत्र श्री सीताराम तिवारी, 3. श्री शरद जायसवाल पुत्र श्री रामचन्द्र जायसवाल, 4. श्री नागेन्द्र जायसवाल पुत्र श्री गणेश प्रसाद जायसवाल, 5. श्रीमती नीलम जायसवाल पत्नि श्री अनिल जायसवाल, 6. श्री अनिल जायसवाल पुत्र श्री राजाराम, 7. श्री विजयसिंह पुत्र श्री जागेश्वरसिंह, 8. श्री यशवंत कोष्ठी पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद कोष्ठी दिनांक 27 जनवरी, 2015 से फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 27 जनवरी, 2015 से ही 1. श्री प्रदीप कुमार केसरवानी पुत्र श्री फूलचंद केसरवानी, 2. श्री स्वदीप केसरवानी पुत्र श्री प्रदीप कुमार केसरवानी, 3. कपील कुमार केसरवानी पुत्र श्री दशरथलाल केसरवानी, 4. श्री रतनलाल केसरवानी पुत्र श्री ताराचंद केसरवानी, 5. श्री लक्ष्मीशंकर केसरवानी पुत्र श्री मगनलाल केसरवानी, 6. श्री सत्यनारायण केसरवानी पुत्र श्री कृष्ण कुमार केसरवानी, 7. श्री राजकिशोर कटियार पुत्र श्री नाथूराम कटियार उक्त फर्म में नये भागीदार सम्मिलित हो गये हैं. उक्त सूचना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना के प्रकाशन दिनांक से 5 दिवस में मय लेख प्रमाण सहित अपनी आपत्ति हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें.

सतीश कुमार साहू,
(भागीदार)
मेसर्स श्री रामचन्द्र जायसवाल एण्ड कम्पनी,
36, संत नगर, उज्जैन (म. प्र.).

(609-बी.)

जाहिर सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की पंजीकृत भागीदारी फर्म मेसर्स हरीनारायण जायसवाल एण्ड कम्पनी, जिसका पता 36, संत नगर, उज्जैन, म. प्र., जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00079/05, दिनांक 02-03-2003 पर पंजीयन फर्म है, में से भागीदार 1. श्री हरीनारायण जायसवाल पुत्र श्री कामता प्रसाद जायसवाल, 2. श्री शरद जायसवाल पुत्र श्री गोपीचंद जायसवाल, 3. श्री अरूणसिंह पुत्र श्री राजदेवसिंह, 4. करूणा शंकर पाण्डे पुत्र श्री शिवशंकर पाण्डे दिनांक 27 जनवरी, 2015 से फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 27 जनवरी, 2015 से

ही 1. श्री संतोष कुमार साहू पुत्र श्री श्याम बिहारी साहू, 2. श्री प्रदीप कुमार केसरवानी पुत्र श्री फूलचंद केसरवानी, 3. श्री स्वदीप केसरवानी पुत्र श्री प्रदीप कुमार केसरवानी, 4. कपील कुमार केसरवानी पुत्र श्री दशरथलाल केसरवानी, 5. श्री रतनलाल केसरवानी पुत्र श्री ताराचंद केसरवानी, 6. श्री लक्ष्मीशंकर केसरवानी पुत्र श्री मगनलाल केसरवानी, 7. श्री सत्यनारायण केसरवानी पुत्र श्री कृष्ण कुमार केसरवानी, 8. श्री चुन्नीलाल कोष्ठी पुत्र श्री एम. एल. कोष्ठी उक्त फर्म में नये भागीदार सम्मिलित हो गये हैं. उक्त सूचना के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना के प्रकाशन दिनांक से 5 दिवस में मय लेख प्रमाण सहित अपनी आपत्ति हमारे कार्यालय में प्रस्तुत करें.

सतीश कुमार साहू,
(भागीदार)
मेसर्स हरीनारायण जायसवाल एण्ड कम्पनी,
36, संत नगर, उज्जैन (म. प्र.).

(610-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन, जिसका पता देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर, म.प्र., जिसका पंजीयन क्रमांक 125/2002-03 की भागीदारी में निम्न परिवर्तन किया गया है—

1. दिनांक 31 मार्च, 2010 को भागीदार श्री शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया आत्मज श्री नेतराज सिंह सिसोदिया उक्त भागीदारी फर्म से विलग हो गये हैं तथा उनके स्थान पर श्री संजय शर्मा आत्मज श्री उमाशंकर शर्मा नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल हुए.
2. दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 को भागीदार श्री संजय शर्मा आत्मज श्री उमाशंकर शर्मा एवं श्री धर्मेन्द्र शर्मा आत्मज श्री के. एल. शर्मा उक्त भागीदारी फर्म से विलग हो गये हैं एवं उनके स्थान पर श्री फौलाद सिंह आत्मज श्री श्याम सिंह उक्त भागीदारी फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल कर लिए गए हैं.

रामलाल झारिया,
(भागीदार)
मेसर्स वंशिका कन्स्ट्रक्शन
देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म. प्र.).

(611-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 14 जनवरी, 2015

क्र./474/व.लि./2015.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम.3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधान अनुसार, सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनु. क्र.-04 के नियम-08 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भरत यादव, कलेक्टर, सिवनी, वर्ष-2015 के लिए सिवनी जिले में निम्नलिखित तिथियों में पूरे दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

स. क्र.	त्यौहार का नाम जिसके लिए अवकाश घोषित किया जाना है.	दिन	दिनांक
1.	शारदीय नवरात्रि प्रारम्भ	मंगलवार	13 अक्टूबर, 2015
2.	अन्नकूट पूजन (दीपावली का दूसरा दिन)	गुरुवार	12 नवम्बर, 2015
3.	भाईदूज	शुक्रवार	13 नवम्बर, 2015

यह अवकाश कोषालय/उप-कोषालय एवं बैंकों पर लागू नहीं होगा.

भरत यादव,
कलेक्टर.

(81)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर

दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्र. क्र./01/बी-113 (1)/2014-15. ई. नं. 223/21-01-2015.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष स्व. खेमचंद चंदवानी चेरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट, शक्कर कुआ काम्पलेक्स, तरणताल के पास, मंदसौर द्वारा नरेश चंदवानी पुत्र खेमचंदजी चंदवानी, निवासी मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि आवेदन पर दिनांक 27 फरवरी, 2015 को समय प्रातः 11.00 बजे उक्त दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

2. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

3. अतः मैं, अंजली द्विवेदी, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 27 फरवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 27 फरवरी, 2015 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

स्व. खेमचंद चंदवानी चेरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट, शक्कर कुआ काम्पलेक्स, तरणताल के पास, मंदसौर

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

प्रस्तावित ट्रस्ट के पास चल/अचल संपत्ति निरंक है.

(71)

दिनांक 21 जनवरी, 2015

प्र. क्र./02/बी-113 (1)/2014-15. ई. नं. 224/21-01-2015.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष श्री विघ्नहर्ता बालाजी ट्रस्ट, मंदसौर, विघ्नहर्ता बालाजी मन्दिर, प्रागण शान्तनु विहार कॉलोनी, मंदसौर द्वारा महेश कुमार पिता दुलेसिंह मोदी आदी निवासी शान्तनु विहार कॉलोनी, मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि आवेदन पर दिनांक 27 फरवरी, 2015 को समय प्रातः 11.00 बजे उक्त दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

2. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

3. अतः मैं, अंजली द्विवेदी, पंजीयक, लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 27 फरवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करती हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति

को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 27 फरवरी, 2015 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

श्री विघ्नहर्ता बालाजी ट्रस्ट, मंदसौर, विघ्नहर्ता बालाजी मन्दिर, प्रागण शान्तनु विहार कॉलोनी, मंदसौर

चल/अचलसम्पत्ति का विवरण

प्रस्तावित ट्रस्ट के पास चल/अचल संपत्ति निरंक है.

अंजली द्विवेदी,

(71-A) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1659, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था स्वास्तिक प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1324 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था स्वास्तिक प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1324 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1581, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था दलित सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1918 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. नाहर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था दलित सफाई कामगार सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1918 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(72-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1422, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था नगर निगम फायर ब्रिगेड कर्म. साख समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1263 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नगर निगम फायर ब्रिगेड कर्म. साख समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1263 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आरती पटेल,
सहायक आयुक्त सहकारिता.

(72-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 09 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपछि/परिसमापन/2015/54.— निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी संस्थाओं को (जिन्हें आगे संस्था कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70 (1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था :—

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति चंद्रकलादेवी सब्जी एवं फल उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, रोहनाकला.	681/25-07-2006	1200/27-09-2013	श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक.
2.	राजीवगांधी एग्रो फुड्स उत्पादन प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, छिन्दवाड़ा.	682/25-07-2006	1200/27-09-2013	श्री अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि, कॉलम नम्बर 2 में दर्शित संस्था के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटीज, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

दौलतराम गेडाम,
उप-रजिस्ट्रार.

(73)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 19 जनवरी, 2015

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/394, विदिशा, दिनांक 17 अप्रैल, 2014 से आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./725, दिनांक 23 मार्च, 2007 को परिसमापन में लाया जाकर श्री अरविंद रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड लटेरी, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदर्श मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, रूसिया, तहसील लटेरी, जिला विदिशा, जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./व्ही.डी.एस./725, दिनांक 23 मार्च, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(74)

कार्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन

दिनांक 23 जनवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 12 सितम्बर, 2002, संशोधित पंजीयन क्रमांक K.R.G.N. 1715, दिनांक 10 मार्च, 2014 को उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1327, खरगोन, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अन्तर्गत मैं, एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी संस्था मर्यादित, खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था का लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 23 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी की गई.

एच. सी. यादव,
उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक.

(75)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां, चम्बल संभाग, मुरैना

मुरैना, दिनांक 06 जनवरी, 2015

क्र./पंजी./2015/11.—मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 निरसन हो जाने से इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सहकारी

संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है. रोनक प्राथमिक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता भण्डार मर्यादित, गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र./डी.आर./बी.एच.डी./139, दिनांक 30 जून, 2004 उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रही है.

मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-9 (क) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश समितियां नियम 5 (क) में वर्णित प्रावधान अनुसार आपके द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा के प्रख्यापन होने के छः माह के भीतर उपविधियों में संशोधन का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं अभय कुमार खरे, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, चम्बल संभाग, मुरैना मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-9 (क) सहपठित मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 5-क (2) के परन्तुक अनुसार स्वप्रेरणा से अधिनियम व नियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित उपविधियों के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रीकरण रोनक प्राथमिक उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता भण्डार मर्यादित, गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र./डी.आर./बी.एच.डी./139, दिनांक 30 जून, 2004 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत संस्था को पंजीकृत करता हूँ. पंजीकरण उपरान्त रोनक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, गोहद, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र./जे.आर./चंबल/1034, दिनांक 06 जनवरी, 2015 रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

अभय कुमार खरे,
संयुक्त पंजीयक.

(76)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/35.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठेमी, पं. क्र. 518, दिनांक 07 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठेमी, पं. क्र. 518, दिनांक 07 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/36.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकबेल, पं. क्र. 555, दिनांक 27 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन

निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकबेल, पं. क्र. 555, दिनांक 27 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-A)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/37.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दहलवाडा, पं. क्र. 533, दिनांक 13 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दहलवाडा, पं. क्र. 533, दिनांक 13 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-B)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/37.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दहलवाडा, पं. क्र. 553, दिनांक 13 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दहलवाडा, पं. क्र. 553, दिनांक 13 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-C)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/39.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालनवाडा, पं. क्र. 525, दिनांक 11 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मालनवाडा, पं. क्र. 525, दिनांक 11 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-D)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/40.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धमना, पं. क्र. 499, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् धमना, पं. क्र. 499, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 , जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-E)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/41.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहद, पं. क्र. 484, दिनांक 26 जून, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी

एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहद, पं. क्र. 484, दिनांक 26 जून, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-F)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/42.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुपला, पं. क्र. 560, दिनांक 27 मार्च, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुपला, पं. क्र. 560, दिनांक 27 मार्च, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-G)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/43.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौछार, पं. क्र. 509, दिनांक 01 जनवरी, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बौछार, पं. क्र. 509, दिनांक 01 जनवरी, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-H)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/44.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बासनपानी, पं. क्र. 501, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बासनपानी, पं. क्र. 501, दिनांक 31 दिसम्बर, 1996, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-I)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/45.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरिया, पं. क्र. 546, दिनांक 20 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अतरिया, पं. क्र. 546, दिनांक 20 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(77-J)

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी, 2015

क्र./परि./14-15/46.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013-14/571, दिनांक 13 अप्रैल, 2013 नरसिंहपुर द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेख, पं. क्र. 522, दिनांक 03 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के तहत् श्री डी. के. शुक्ला, प्रबंधक, दुग्ध शीत केन्द्र, जिला नरसिंहपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही निम्नानुसार सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया. अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है. परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था की लेनदारी

एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. अत: संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत् दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेख, पं. क्र. 522, दिनांक 03 मार्च, 1997, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

डी. पी. सिंह,
उप-रजिस्ट्रार.

(77-K)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरझरी, पं.क्र. 437, दिनांक 22 नवम्बर, 1993 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1409, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

अ.जा./अ.ज.जा. ठेका सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी, पं.क्र. 27, दिनांक 05 सितम्बर, 2009 विकासखण्ड लाँजी, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1386, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

जीवन आधार बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, लाँजी, पं.क्र. 748, दिनांक 13 जनवरी, 2011 विकासखण्ड लाँजी, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1407, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, लाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

विजयी भारत साख सहकारी समिति मर्यादित, किरनापुर, पं.क्र. 14, दिनांक 08 अप्रैल, 2004 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1402, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. कलश श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 17, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1389, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बालाघाट कामगार कारीगर सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 05, दिनांक 12 सितम्बर, 2001 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1382, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

न्यायिक कर्मचारी (चतुर्थ/तृतीय श्रेणी) सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 06, दिनांक 28 सितम्बर, 2001 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1412, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

आदिवासी ठेका सहकारी समिति मर्यादित, पिपरटोला, पं.क्र. 10, दिनांक 20 मई, 2002 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1388, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

गोंडवाना श्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 34, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1401, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

लक्ष्मी आपूर्ति एवं साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 11, दिनांक 28 जुलाई, 2003 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1417, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

बालाघाट साख सहकारी समिति मर्यादित, बालाघाट, पं.क्र. 03, दिनांक 30 जुलाई, 2001 विकासखण्ड बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1415, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, बालाघाट को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

किसान सेवा साख सहकारी समिति मर्यादित, देवगाँव, पं.क्र. 784, दिनांक 16 अप्रैल, 2012 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1403, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(78-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया, पं.क्र. 572, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड खैरलाँजी, तहसील व जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपंबा./परि./2014/1391, बालाघाट, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. संस्था के संचालक मण्डल द्वारा नियत समयावधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ./15-1-1999-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने का आदेश देते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरलाँजी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अपना अंतिम प्रतिवेदन दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 09 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

जी. एस. डेहरिया,
उप-पंजीयक.

(78-L)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,
उर्बशी कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार,
तहसील धार, जिला धार.
(पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 05 अक्टूबर, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

बालाजी ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., तिरला,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 810, दिनांक 27 मार्च, 1992)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

रेवा कामगार सहकारी संस्था मर्या., गुलाटी,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 12 जून, 1995)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

रैदास चर्मद्योग सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

हरिओम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरी (कुक्षी),

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1239, दिनांक 17 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंधाना,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1245, दिनांक 05 जून, 2008)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., संदला,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 26 सितम्बर, 2001)

क्र./परि./2014/1696.—सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टाण्डाखेड़ा,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1048, दिनांक 25 फरवरी, 2000)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कठोड़िया,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 17 अप्रैल, 1978)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

प्रजापति कामगार सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 964, दिनांक 01 मई, 1995)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 950, दिनांक 03 अक्टूबर, 1994)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माँ गायत्री बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदाखुर्द,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

धाकड़ कृषि उत्पादक क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., राजोद,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 09 फरवरी, 1998)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-L)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पिथमपुर,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 14 मार्च, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-M)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

वैष्णव वैरागी साख सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1042, दिनांक 15 सितम्बर, 1999)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

जय श्री भैरवनाथ मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आमखेड़ा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 01 नवम्बर, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

शा. महाविद्यालय कर्म. परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 344, दिनांक 01 सितम्बर, 1969)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-P)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

न्यायिक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 979, दिनांक 02 नवम्बर, 1985)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-Q)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेजवानी,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1234, दिनांक 15 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-R)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., फरसपुरा,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1018, दिनांक 23 जून, 1998)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-S)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माँ दुर्गा अजीबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलरझीरी,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-T)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

चम्बल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरीसराय,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1238, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-U)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

सपना आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., खरगोन,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1016, दिनांक 10 जून, 1998)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-V)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोधवाड़ा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1236, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-W)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

शा. कर्म. प्रा. उ. भ. सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 212, दिनांक 19 अगस्त, 1964)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-X)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

वसुन्धरा एग्रो को-आप. सर्विस एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 19 मार्च, 2004)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-Y)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

जन सेवक प्रा. सह. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बगड़ी,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 23 जून, 1999)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(79-Z)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माँ शारदा रेडिमेड सिलाई एवं वस्त्रोद्योग एवं गृह उद्योग सहकारी संस्था

मर्या., पिथमपुर, तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 20 जून, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ननोदा,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1248, दिनांक 28 मार्च, 2009)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माँ नर्मदा सामूहिक उद्‌वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., जाटपुर,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 06 जून, 2001)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माँ नर्मदा महिला बहुउद्‌देशीय सहकारी संस्था मर्या., धामनोद,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 21 मार्च, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

जिला वृक्ष सहकारी युनियन संघ मर्या., धार,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 807, दिनांक 01 नवम्बर, 1991)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

श्री श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 07 जून, 2010)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

वस्त्रोद्योग रंगाई छपाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पधानिया,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 24 जून, 2005)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

स्वास्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गाजनोद,

तहसील बदनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 12 जून, 2009)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.

4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.

5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.

6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-G)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., सराय,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 699, दिनांक 10 दिसम्बर, 1997)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बाकानेर,

तहसील मनावर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 647, दिनांक 15 मार्च, 1985)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-I)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

मयुर आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव,

तहसील कुक्षी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 05 दिसम्बर, 1998)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-J)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

एकता प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 12 नवम्बर, 2013)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

माही बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अहमद,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1238, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-L)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिण्डा,

तहसील सरदारपुर, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 23 जनवरी, 1990)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-M)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष श्री नूर मोहम्मद पठान सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

रूपमति प्राथ. उप. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., माण्डव,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक.....को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-N)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करंजवा,

तहसील धार, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1243, दिनांक 26 मई, 2008)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.

3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(80-O)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

सचिव/अध्यक्ष सहित समस्त संचालक मण्डल सदस्य,

दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सरजापुर,

तहसील धरमपुरी, जिला धार.

(पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002)

सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) की अनुशंसा एवं कार्यालयीन जानकारी अनुसार आपकी संस्था वर्तमान में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 तथा उसके नियम-1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं कर रही है. रिकॉर्ड अनुसार निम्न प्रमुख कारणों से मेरे मतानुसार संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. यह कि पिछले गत वर्षों से संस्था अकार्यशील होकर बन्द पड़ी है.
3. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होकर अत्यन्त दयनीय है तथा निकट भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है.
4. संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है.
5. वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं.
6. संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रुचि न होना तथा अपने उद्देश्यों में विफल होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अतएव मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. / एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का उपयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर नोटिस देता हूँ कि क्यों न आपकी संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की कार्यवाही की जावे. इस सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष समर्थन कर कुछ कहना हो, तो दिनांक 02 जनवरी, 2015 को समय दोपहर 12.30 बजे मेरे समक्ष उपस्थित होकर मय साक्ष्य प्रतिवेदन के अपना पक्ष प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(80-P)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 07] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2015-माघ 24, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील भाण्डेर (दतिया), लवकुशनगर, नौगांव, विजावर, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), बीना, सागर, देवरी, गढ़ाकोटा, केसली (सागर), रघुराजनगर (सतना), पिपलोदा (रतलाम), कट्टीवाड़ा, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), सरदारपुर, गंधवानी (धार), बड़वानी (बड़वानी), कुरवाई, विदिशा (विदिशा), गैरतगंज (रायसेन), भैंसदेही, (बैतूल), वनखेड़ी (होशंगाबाद), मझोली, पाटन (जबलपुर), बहोरीबंद (कटनी), छिन्दवाड़ा, पांढुर्ना, चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट, कुरई, घनोरा, छपारा (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सेंवढ़ा (दतिया), छतरपुर, राजनगर (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), रहली (सागर), रामपुरनैकिन (सीधी), आलोट (रतलाम), पानसेमल (बड़वानी), बेगमगंज (रायसेन), पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोर, जबलपुर (जबलपुर), रीठी (कटनी), नैनपुर, नारायणगंज (मंडला), तामिया, सौंसर, अमरवाड़ा, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, घन्सौर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील गौरीहार (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), कुन्डम (जबलपुर), कटनी, विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा, बड़वारा (कटनी), मंडला, घुघरी (मंडला), बिछुआ (छिन्दवाड़ा), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील त्यौंथर, सिरमोर, मऊगंज, हनुमना, हुजूर, गुढ, रामपुर कुर्चुलियान (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), बरही (कटनी), निवास, विछिया (मण्डला), जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, सागर, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, बड़वानी, भोपाल, कटनी व सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सागर में फसल चना, अलसी व अनूपपुर में राई-अलसी व ग्वालियर, दतिया, सीधी, मंदसौर, झाबुआ, खरगौन, बैतूल व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला धार, बुरहानपुर में फसल सोयाबीन व होशंगाबाद में धान व सिवनी में सोयाबीन, धान व दतिया में तिल, उड़द, बाजरा, मूंगफली व सीधी में उड़द, मूंग, मक्का, तिल व आगर, इन्दौर, सीहोर, बैतूल, हरदा, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला मुरैना, ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, उमरिया, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व तिल, उड़द, बाजरा, मूंगफली की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	19.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	7.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	13.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	48.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	5.0				
4. छतरपुर	20.8				
5. राजनगर	20.4				
6. बिजावर	10.0				
7. बड़ामलहरा	5.2				
8. बकस्वाहा	4.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	42.2		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	33.2		(2) . .		
3. गुन्नौर	44.0				
4. पवई	51.0				
5. शाहनगर	36.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, अलसी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	1.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	0.8				
5. रेहली	21.0				
6. देवरी	9.0				
7. गढ़ाकोटा	11.6				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	5.0				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मक्का, धान, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	0.8		4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, कम.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	80.0		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	96.6		मूँग, उड़द, अरहर तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	149.0		(2) . .		
4. हनुमना	180.8				
5. हजूर	148.3				
6. गुढ़	108.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	87.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई, अलसी की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	95.7	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) धान, सोयाबीन, राहर, कोदों-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	136.6		कुटकी कम. रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	119.5		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	206.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	65.2		4. (1) धान, उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	63.0		राई-सरसों, अलसी कम. मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	81.0		कोदों-कुटकी, तिल समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व उड़द, मूँग, मक्का, तिल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	198.8		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	144.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	110.0				
4. कुसमी	74.0				
5. चुरहट	172.0				
6. रामपुरनैकिन	34.6				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई व रबी, फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, ज्वार,बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	6.0				
4. सोण्डवा	. .				
5. उदयगढ़	. .				
6. च.शे.आ. नगर	7.0				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) कपास, मक्का, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	8.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	5.0				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	9.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	26.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	1.2				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	1.0				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	11.4		अरहर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	25.0		मूँगफली, तिल.		
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी, फसलों की बोनी व	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	17.4	खरीफ फसलों की कटाई	4. (1) सोयाबीन, मक्का कम. धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .	का कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .	चालू है.	4. (1) धान, मूँगमोठ, उड़द, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .		(2) . .		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	20.0		4. (1) मूँग अधिक. धान, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	9.2		तिल, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	23.8		(2) . .		
4. मझौली	17.4				
5. कुण्डम	46.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	52.0		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	23.0		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	42.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	10.2				
5. ढीमरखेड़ा	47.5				
6. बडवारा	50.0				
7. बरही	77.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	65.1		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	109.7		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	27.5				
4. मण्डला	37.4				
5. घुघरी	43.1				
6. नारायणगंज	23.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	5.6		4. (1) मक्का, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	60.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	23.0				
5. सोंसर	30.0				
6. पांढुर्णा	4.2				
7. अमरवाड़ा	25.4				
8. चौरई	14.8				
9. बिछुआ	50.0				
10. हर्रई	34.4				
11. मोहखेड़ा	24.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसल सोयाबीन, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	3.6		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	10.0		(2) . .		
3. लखनादौन	19.5				
4. बरघाट	8.1				
5. कुरई	11.0				
6. घंसौर	20.0				
7. घनोरा	8.0				
8. छपारा	10.2				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	47.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	7.2		(2) . .		
3. बैहर	100.0				
4. वारासिवनी	30.3				
5. कटंगी	27.5				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला श्योपुर, भिण्ड, शहडोल, सिगरौली, उज्जैन, देवास, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(70)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.